

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 16/2026

जीसीएमएस सं. 2026/53

ऑन लाईन अपील सं. 218647492669548/2026

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री तुषार सोनी पिता चंद्रकांत सोनी बनाम  
निवासी ग्राम कलिंजरा, तहसील  
बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना  
अधिकारी) बागीदौरा जिला  
बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 08-05-2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन 218192444067831 दिनांक 07-04-2026 को उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.) द्वारा दिनांक 22.04.2026 को निरस्त जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 24-04-2026 को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।


दिनांक 08-05-2026 को प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.) ने अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत आवेदन पर वांछित सूचना अनुसार बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि बिन्दु सं. 1 से 5 में चाही गई सूचना पुर्णतः अपष्टीकरण/ प्रश्नवाचक/ राय से सम्बन्धित है, जो अधिनियम के अन्तर्गत "सूचना" की

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

परिभाषा में नहीं आती है तथा बिन्दु सं. 6 अन्तर्गत चाही गई सूचना सीसीटीवी क्रियाशील नहीं होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। बिन्दु सं. 8 में स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। सूचना का अधिकार अन्तर्गत स्पष्टीकरण "सूचना" की परिभाषा में नहीं आती है। अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी ने उपस्थित होकर कथन किया कि **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)** ने ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से यह सूचित करते हुए कि मांगी गई सूचना व्याख्या/ प्रश्नवाचक/ राय से सम्बन्धित है, जो कि आरटीआई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। मैं इससे असन्तुष्ट हूँ। उपखण्ड कार्यालय बागीदौरा में सीसीटीवी क्रियाशील नहीं होना विश्वास योग्य नहीं है। अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाकर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)** से आवेदन अनुसार समस्त सूचनाएँ उपलब्ध कराने आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)** के जवाब एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अपीलार्थी के ऑन लाईन आवेदन **218192444067831** दिनांक **07-04-2026** से 8 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। आवेदन अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा वांछित बिन्दु सं. 1 से 5 तक सूचना प्रश्नात्मक/ व्याख्यात्मक/ विशिष्ट विहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6(1)(B)**के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। बिन्दु सं. 6 के सन्दर्भ में यह कि **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)** के अनुसार सीसीटीवी क्रियाशील नहीं होने से आंशिक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। बिन्दु सं. 7 परिवाद के रूप में है एवं बिन्दु सं 8 से स्पष्टीकरण चाहा गया है।

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.) द्वारा आनलाईन Outward Number 3784957845 Date 22-04-2026 से नियमानुसार अपीलार्थी का ऑन लाईन आवेदन 218192444067831 दिनांक 07-04-2026 अस्वीकार किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08-05-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गयज्ञं



(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)